

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष नं०:- 0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल:- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/अलेसे-III/निप लिंक नं. 33338/ 934 दिनांक :- 13-9-2021

कार्यालय आदेश

श्रीमती पायल राव (लिंक नं. 33338) कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी, उदयपुर (शहर) को उनके प्रार्थना पत्र के आधार पर राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत निम्नानुसार असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

असाधारण अवकाश :- दिनांक 24.08.2020 से 18.09.2020 तक 26 दिवस

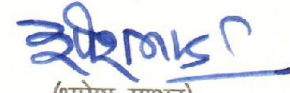
दिनांक 19.09.2020 से 01.10.2020 तक 13 दिवस

दिनांक 07.10.2020 से 16.10.2020 तक 10 दिवस

(कुल 49 दिवस)

उक्त कुल 49 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्रीमती पायल राव की सेवा पुस्तिका में लाल स्याही से अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।

उक्त असाधारण अवकाश स्वीकृति आदेश वित्त(राजस्व) विभाग के पूर्व अनुमोदन पत्रावली क्रमांक 4521 दिनांक 17.08.2021 पश्चात् जारी की गई है।


(भूपेश माथुर)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/अलेसे-III/निप लिंक नं. 33338/ 934 दिनांक :- 13-9-2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. कोषाधिकारी, उदयपुर (शहर)
2. श्रीमती पायल राव (लिंक नं. 33338) कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी, उदयपुर (शहर)
3. निजी सचिव, निदेशक।
4. उपनिदेशक एसीपी को वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
5. पदस्थापन सीट/निजी/रक्षित पत्रावली।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)